भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 126

27 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

रेत खनन पर प्रतिबंध

***126. श्री मनोज तिवारीः**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में यमुना नदी में रेत खनन से संबंधित सभी कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में योजना परिव्यय एवं उसके कार्यान्वयन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

श्री मनोज तिवारी, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 27.11.2019 को रेत खनन पर प्रतिबंध के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 126 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (ग) : महोदय, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के तहत बालू एक गौण खनिज है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 15, गौण खनिज रियायत के अनुदान के विनियमन हेतु राज्य सरकारों को नियम बनाने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23ग, खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम तथा उससे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का भी अधिकार राज्य सरकारों को देता है। इस प्रकार, गौण खनिज राज्य सरकार के स्तर पर विनियमित किए जाते हैं। खान मंत्रालय ने राज्यों के खनन विभाग से परामर्श कर 'बालू खनन फ्रेमवर्क' तैयार किया है जिसमे बालू खनन में राज्यों की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली तथा सतता, उपलब्धता, किफायतता एवं पारदर्शिता के उद्देश्यों पर आधारित सुझावों को शामिल किया गया है 'बालू खनन फ्रेमवर्क' को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्यों को परिचालित किया गया था।

*****